



प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/52

पं. सं. 844-ई/6 सी. पी. सी./08/ E-IA

दिनांक 02/12/2008

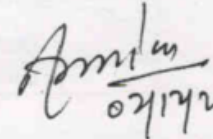
सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: - Revised rates of stipend to Special Class Railway
Apprentices.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-V/2008/PS/2(SCRA) दिनांक 25/11/2008
(आर. बी. ई. सं. 188/2008) क्र. सं. पी. सी.-VI/ 52 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-V/98/ 1/5/4 दिनांक 17/07/98
की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 11466/97/PC-V/63 दिनांक 24/8/98 के अन्तर्गत भेजी जा चुकी
हैं।

संलग्न/यथोक्त


(Trilok Choudhary),
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र. का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव, अ0भा0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसंत लेन नई दिल्ली।



10/11/08

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S.No. PC-VI/52
No. PC-V/2008/PS/2(SCRA)

RBE No. 188/2008
New Delhi, dated 25.11.2008

The General Manager
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

BYCPOIR
SPCIR
CFO
11/11/08

Sub: Revised rates of stipend to Special Class Railway Apprentices.

Ref: Railway Board's letter No. PC-V/98/1/5/4 dated 17.7.98.

Consequent upon the promulgation of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, on the basis of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, the issue of revision of the rates of stipend to Special Class Railway Apprentices has been under consideration. The President is pleased to decide the following revised rates of stipend for SCRAs:-

Year	Existing rate of stipend per month (Rs.)	Revised rate of stipend per month (Rs.)
First	4000	9100
Second	4000	9100
Third	4200	9400
Fourth (First six months)	4200	9400
(Last six months)	4400	9700

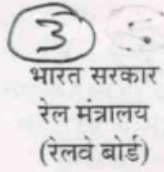
- These orders will take effect from 01.9.2008.
- The apprentices will draw the revised rates of Dearness Allowance appropriate to the revised rates of stipend.
- This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- Hindi version is enclosed.

(N.P. Singh)

Deputy Director, Pay Commission-V
Railway Board.

S-4

RB-397
28-11-08



क्रम सं. पी सी-VI/52
सं. पी सी-V/2008/पीएस/2(एससीआरए)

आर बी ई सं. 188/2008
नई दिल्ली, दिनांक : 25.11.2008

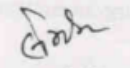
महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)।

विषय: विशेष श्रेणी रेल अग्रेंटिसों को स्टाइपेंड की संशोधित दरें।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का 17.07.1998 का पत्र सं. पीसी-V/98/1/5/4.

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को लागू करने के परिणामस्वरूप, विशेष श्रेणी रेल अग्रेंटिसों को स्टाइपेंड की दरों के संशोधन का मुद्दा विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति जी, सहर्ष विशेष श्रेणी रेल अग्रेंटिसों के लिए स्टाइपेंड की निम्नलिखित संशोधित दरों का विनिश्चय करते हैं:-

वर्ष	प्रतिमाह स्टाइपेंड की मौजूदा दर (रुपए)	प्रतिमाह स्टाइपेंड की संशोधित दर (रुपए)
पहला	4000	9100
दूसरा	4000	9100
तीसरा	4200	9400
चौथा (पहले छः महीने)	4200	9400
(अंतिम छः महीने)	4400	9700

- ये आदेश 01.09.2008 से प्रभावी होंगे।
- अग्रेंटिस, स्टाइपेंड की संशोधित दरों के लिए उपयुक्त महंगाई भत्ते की संशोधित दरों को आहरित करेंगे।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(एन.पी.सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड